राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग)

वित्त–भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

website:https://www.rghs.rajasthan.gov.in email: pd.rghs@rajasthan.gov.in

क्रमांक–F1(297)/आरजीएचएस/कॉनफेड/ई–फार्मा/21–22/ 2103 दिनांकः– 12-08-22

समस्त सहकारी उपभोक्ता भण्डार
एवं निजी अनुमोदित फॉर्मा स्टोर्स

विषयः– मेडिकल बिलों के निरस्त होने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरजीएचएस के आदेश क्रमांक–F1(297)/RGHS/Confed/E-Pharma/21–22/2161–2219, दिनांक 01.02.2022 में समस्त सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर्स को निर्देशित किया गया था कि आरजीएचएस Serving Employees श्रेणी के लाभार्थियों को टीआईडी नम्बर (TID No.) के आधार पर दवाईयां दी जा सकेंगी एवं पेंशनर श्रेणी के वयोवृद्ध लाभार्थी जो टीआईडी न. (TID No.) जारी करने में असमर्थ है, उन्हें सीधे ही आरजीएचएस कार्ड संख्या की सहायता से भी दवाईयां दी जा सकेगी। परंतु आप द्वारा जनरेट किये गये मेडिकल बिलों की जाँच करने पर यह पाया गया कि आप द्वारा आरजीएचएस Serving Employees श्रेणी के लाभार्थियों को भी बिना टीआईडी न.(TID No.) के केवल आरजीएचएस कार्ड संख्या के आधार पर दवाईयां दी जा रही है जो कि नीति संगत नहीं है। उक्त निर्देशों की अवहेलना में जारी किये जा रहे दवा बिलों को निरस्त किया जा रहा है।

अतः समस्त सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं अनुमोदित निजी फॉर्मा स्टोर्स को पुनः निर्देशित किया जाता है कि आरजीएचएस के Serving Employees श्रेणी के लाभार्थियों को टीआईडी न.(TID No.) के आधार पर ही दवाईयों का वितरण किया जायें । यह टीआईडी न. (TID No.) निजी अनुमोदित अस्पतालों द्वारा या नियमानुसार घर पर देखने वाले डॉक्टर्स द्वारा लिखे गये प्रिस्क्रिपशन को लाभार्थी के एसएसओ आईडी (SSO ID) से अपलोड करके उत्पन्न की गई हो।

सभी अनुमोदित मेडिकल स्टोर्स, निरस्त बिलों के भुगतान हेतु पुनर्विचार हेतु युक्तियुक्त कारण एवं दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए ऐसे बिलों की एक्सेल लिस्ट (Excel list) बना कर निम्न ई–मेल आईडी पर मेल कर सकते है–

RGHSPHARMA@RAJASTHAN.GOV.IN

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक, आरजीएचएस